भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 344
दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत निम्न स्तर और खराब गुणवत्ता वाला कार्य

***344. श्री अरुण कुमार सागरः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निम्न स्तर और खराब गुणवत्ता वाला कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इस मिशन के तहत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ग): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *344 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में सदर्भित विवरण

(क) से (ग) माह अगस्त 2019 से, भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है।

'जल' राज्य सूची का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों/कार्यों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों/कार्यों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए ऑपरेशनल गाईडलाइंस के तहत काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान से पहले तृतीय पक्ष का निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इस उद्देश्य से राज्यों को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक स्कीम में संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों द्वारा पैनल में शामिल किए जाने वाले टीपीआईए के चयन और विचारार्थ विषयों (टीओआर) के मानदंड जेजेएम प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में दिए गए हैं। टीपीआईए द्वारा की गई गुणवत्ता जांचों का ब्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाता है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शाहजहांपुर सहित राज्य के सभी जिलों में टीपीआईए को पैनल में शामिल किया गया है। स्कीम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आपूर्ति इन एजेंसियों द्वारा किए गए फैक्टरी दौरों के माध्यम से निरीक्षण के बाद की जाती है। इसके उपयोग से पहले अन्य भवन और इस्पात से संबंधित सामग्रियों का भी निरीक्षण किया जाता है। मानकों को पूरा करने के बाद ही ऐसी सामग्रियों का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय में कार्य की खराब गुणवत्ता सहित राज्यों में किशोर जीवन मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें जब कभी प्राप्त होती हैं, सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्यों को भेज दी जाती हैं। नागरिक भारत सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को स्वतः भेज दिया जाता है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दर्ज शिकायतों का जिला-वार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

सीपीजीआरएएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के अलावा, इस विभाग में वास्तविक रूप से भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्यों को भी भेजा जाता है। माननीय संसद सदस्य, शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उनके दिनांक 5 और 30 जुलाई 2024 के पत्रों के माध्यम से ऐसी दो शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें सुधारात्मक उपाय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी कार्य घटिया और खराब गुणवत्ता का नहीं है।

*****